कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक–3096/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, मार्च, 19– 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर, बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे ।

संदर्भः– 1–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्रांक– 1781/रेनुकूट/15–6 दिनांक– 01.12.2022
3–इस कार्यालय का पत्रांक–2130/मी0क्षे0/33 दिनांक–14.12.2022
4–आपका का पत्रांक–2217/11–सी FP/UP/THERMAL/36097/2018लखनऊदिनांक–30.12.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–30.12.2022 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण किये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक 2893/रेनुकूट/15–6 दिनांक 27.02.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कमियो का निराकरण करते हुए संशोधित प्रति सांस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–2217/11–सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक–30.12.2022 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न नही किया गया है । अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि याचक विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव मे प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रीनियम एवं प्रीनियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष मे भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रीनियम एवं प्रीमियम का 10 प्रतिषत वार्षिक लीज रेंट जमा किये जाने हेतु स्पष्ट वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव मे संलग्न लीज अवधि प्रमाण–पत्र मे लीज अवधि 30 वर्ष जबकि ऑनलाइन पार्ट–1 मे लीज अवधि 99 वर्ष अंकित है , जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः सही लीज अवधि प्रमाण–पत्र मे अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित लीज अवधि प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे यथा स्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
4	लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु लागत लाभ विश्लेषण मे एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दर के अनुसार ली गयी है , जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः नई सशोधित दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

5	प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे0 अवनत वन भूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु संलग्न प्राक्कलन मे तथा मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे सी0ए0 की धनराषि पूर्व मे कराये गये वृक्षारोपण के क्षेत्रफल एवं वर्तमान मे प्रस्तावित वृक्षारोपण के क्षेत्रफल मे भिन्नता है अतः सही स्थिति स्पष्ट कर सही प्राक्कलन एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख व सूचना प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्तमान में सशोधित प्रस्ताव में प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगूने अवनत वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 या 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0में)	अभ्युक्ति
1	280.508 हे0	188.241	एन0टी0पी0सी0 द्वारा वन विभाग को वापस किये गये धारा–20 का क्षेत्रफल
2	—	643.759	नया चयनित अवनत वन भूमि
	280.508	832.00	

क्षेत्रफल मे कोई भिन्नता नही है ।

6	प्रस्ताव मे 188.241 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 639 हे0 शुद्ध क्षेत्रफल का Geo Referenced Digital Map, संलग्न किया गया है , जबकि सी0ए0 के गोश्वारा ने 643.759 हे0 मे वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः प्रस्ताव मे 188.241 हे0 वन भूमि के अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही क्षेत्रफल Geo Referenced Digital Map, टोपाशीट संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित कुल स्थलो का सही Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
7	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 मे वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की के0एम0एल0 फाइल एवं उससे सम्बन्धित विवरण Geo Referenced Digital Map, टोपोशीट अपलोड नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि 188.241 हे0 क्षेत्रफल की के0एम0एल0 फाइल एवं उससे संबधित मानचित्र ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
8	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(I) मे अपलोड की गयी सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल का सकल क्षेत्रफल अपलोड किया गया है ,जो कि शुद्ध वृक्षारोपण क्षेत्रफल से अधिक हो रहा है । अतः सी0ए0 की के0एम0एल0 फाइल का शुद्ध क्षेत्रफल अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित एवं शुद्ध क्षेत्रफल ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
9	प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता मे 29 करोड़ रू0 पूर्व मे जमा किये जाने का उल्लेख किया गया है , जबकि एन0पी0वी0 की गणना मे पूर्व मे धनराशि रू0 258067360/– एन0पी0वी0 की सही धनराशि, वचनबद्धता एवं	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि सशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।

	एन0पी0वी0 की गणना मे उल्लेख कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	
10	प्रस्ताव मे मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है ।
11	ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड सी0ए0 की धनराशि प्रस्ताव मे अंकित सी0ए0 की धनराशि एवं मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे अंकित सी0ए0 की धनराशि से भिन्न है । अतः ऑनलाइन भाग–2 मे सही धनराशि अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे संशोधित अभिलेख प्रस्ताव मे यथास्थान संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
12	प्रस्ताव मे प्रस्तावित वन भूमि के राजस्व मैप/कैडिस्ट्रल मैप मे प्रस्तावित स्थलो के गाटो को चिन्हित नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि राजस्व मैप /कैडिस्ट्रल मैप मे प्रस्तावित स्थलो को चिन्हित करा दिया गया है ।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 393 पर संलग्न सी0ए0 गोश्वारा मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 280 हे0 मे पूर्व मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र मे 561 हे0 मे सी0ए0 की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है, जो कि विरोधाभाष है । अतः सही गोश्वारा संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण मे 280.508 हे0 के दुगूने अवनत वन भूमि 280.508 X 2 = 561.00 हे0 पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु एन0टी0पी0सी0 से कुल रू0 4969500 + 32738115 = 37707615/– जमा कराया गया , जिसमे से 4969500/– की धनराशि 280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर वर्ष 1999 मे वनीकरण कार्य पूर्ण किया गया तथा 280.508 हे0 पर वनीकरण कार्य हेतु उक्त 32738115/– रू0 कैम्पा मद मे जमा है जिससे वनीकरण कार्य नही किया गया है ।
14	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 मे मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 मे मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड कर दिया गया है ।
15	ऑनलाइन भाग–2 एवं प्रस्ताव से पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को पृथक करते हुये संशोधित प्रमाण–पत्र यथास्थान पर संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव मे पूर्व के त्रुटिपूर्ण प्रमाण–पत्रो को पृथक करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
16	प्रस्ताव की एक प्रति मे पेनड्राइव संलग्न नही है । तथा संलग्न पेनड्राइव मे प्रस्तावित वन भूमि की एवं 188.241 हे0 वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड नही है । अतः उपरोक्त इंगित कनियो का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित एक पी0डी0एफ0 फाइल , जिसमे प्रस्तावित एवं सी0ए0 की पूर्ण के0एम0एल0 फाइल हो, पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनो प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव मे इंगित की गयी कनियो का निराकरण कराते हुए सशोधित पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 3096 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–2893/रेनुकूट/15–6 दिनांक 27.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर ,बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण ।

एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र द्वारा वर्ष 1989 मे 951.60 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या– 8–412/89–एफ0सी0 दिनांक– 23.08.1991 द्वारा 951.60 हे0 मे से 744.00 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी की गयी । प्रस्ताव प्रस्तुत करने एव सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष पूर्व से दाखिल रिट याचिका संख्या– 1061/1982 वनवासी सेवा आश्रम बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य मे पारित विभिन्न आदेशो के अनुपालन मे वन बन्दोबस्त की कार्यवाही सम्पादित की गयी । वन बन्दोबस्त की कार्यवाही के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने से आच्छादित वन भूमि मे कुछ परिवर्तन हुआ जिसकी सूचना सक्षम स्तर से भारत सरकार के संज्ञान मे लाया गया । प्रकरण मे वस्तु स्थिति से संज्ञानित होने के उपरान्त एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक– 16.11.2017 को सम्पादित हुयी । एफ0ए0सी0 की बैठक मे लिये गये निर्णय के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8–412/1989– एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक– 06.11.2017 व इसके क्रम मे दिनांक– 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर–बीजपुर, जिला–सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में बैठक सम्पन्न हुयी । उक्त बैठक दिनांक– 14.12.2017 के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या– 1 निम्नानुसार है :–

" भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें "।

उक्त निर्देशों के अनुपालन मे एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग मे लाई जा रही 555.759 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/THERMAL/36097/2018 प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत किये गये ऑन लाइन प्रस्ताव से आच्छादित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक– 25.02.2023 को किया गया । निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत वन भूमि पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक– 23.08.1991 के अनुपालन मे थर्मल पावर का निर्माण किया गया है । अतः प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है ।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश